

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद - विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पाँचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY

No. 2.....62.....
Date 14/3/2001

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी।
उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)

[अंक 14, गुरुवार, 7 दिसम्बर, 2000 /16 अग्रहायण, 1922 (शक)]

विषय

(समा में निरन्तर व्यवधान के कारण कोई कार्य नहीं हो पाया)

कॉलम

1-2

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

....(व्यवधान)

गुरुवार, 7 दिसम्बर, 2000/16 अग्रहायण 1922 (शक)

अध्यक्ष महोदय : लाइव टेलीकास्ट बंद करो।

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

....(व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए प्लीज। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। यह क्या है?

पूर्वाह्न 11.01 बजे

....(व्यवधान)

इस समय श्री चन्द्र प्रताप सिंह, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, श्री राशिद अलवी, श्री सुनील खां और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बैठ जाइए। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। यह क्या है? यह किसी मामले को उठाने का उचित तरीका नहीं है। पिछले चार दिनों से आप सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

....(व्यवधान)

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले पर यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान)*

....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने-अपने स्थान पर जाइए। वहां से आप मामला उठा सकते हैं। कृपया यह समझें। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझें। यह क्या है? यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान)

....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पूर्वाह्न 11.04 बजे

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी जगह पर जाकर बैठिए।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2000/17 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।
